संख्या-510/2020/2962/22-2-2019-17(1208)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी धनदेवी उर्फ जावित्री पत्नी श्री जयवीर सिंह, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-26-09-2019 दिनांक 19-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी धनदेवी उर्फ जावित्री पत्नी श्री जयवीर सिंह, गोपालपुर नगरिया, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का रहने वाला है। महिला बन्दी द्वारा दहेज को लेकर दिनांक 01.01.2009 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी बहू को जहर देकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-190/2010 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, बरेली के आदेश दिनांक 15.03.2011 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा सजा को लघुकृत करते हुए 07 वर्ष के कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.08.2019 तक 02 वर्ष 05 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बन्दी वृद्ध होने के उपरान्त भी पुन: अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी धनदेवी उर्फ जावित्री (बन्दी संख्या-388/2017) पत्नी श्री जयवीर सिंह, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-510/2020/2962(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in